

मेसर्स विप्रो लिमिटेड -एसईजेड, पुणे, के आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, का जोनल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, सीप्लज एसईजेड, मुंबई में दि 07.05.2026 को आयोजित 35 वी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।	
1	एसईजेड का नाम
2	क्षेत्र
3	मीटिंग नं.
4	तारीख
	मेसर्स विप्रो लिमिटेड -एसईजेड
	आईटी/आईटीईएस
	35 वीं
	07.05.2026

उपस्थित सदस्य

क्र.	नाम और पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ, संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री अभिनव राठी उप आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	श्री संजीव पाटिल, उद्योग अधिकारी, पुणे क्षेत्र	महाराष्ट्र सरकार का नामांकित
4	श्री प्लेटो लोबो, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशक	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
5	श्री नवनाथ अवताडे, उप क्षेत्रीय अधिकारी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित
6	श्री. प्रशान्त रोहनकर, अधीक्षक	कस्टम्स, पुणे के नामित व्यक्ति

विशेष आमंत्रित

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री शम्भू दयाल मीना, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीप्लज-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर 01: 30.03.2026 को आयोजित 34 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 30.03.2026 को आयोजित 34 वीं अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा विषय क्र 02: 30.03.2026 को आयोजित 34 वीं बैठक के कार्यवृत्त के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 30.03.2026 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की है।

एजेंडा आइटम नंबर 03: मेसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा अधिकृत परिचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने डेवलपर के अनुरोध पर विचार किया तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12(2) के अंतर्गत चार्टर्ड इंजीनियर टी.एन. सुरेश कुमार, एएम 78162-5 द्वारा विधिवत प्रमाणित रु 40.85 करोड़ कि कुल लागत से संबंधित विद्यमान अवसंरचना के नवीनीकरण हेतु संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त वस्तुएं और सेवाओं की सूची को अनुमोदित किया।

Name of Authorized Operation	Annexure	Goods	Duty Forgone (In Crs)	Services	Duty Forgone (In Crs)
आयात में खरीदारी का अनुमानित मूल्य (रु. में करोड़)	I	6.13	2.69	-	-
घरेलू शुल्क क्षेत्र में खरीद का अनुमानित मूल्य (रु. करोड़ में)	II & III	15.38	2.77	19.34	3.48

कुल मूल्य (रु. में करोड़)		21.51	5.46	19.34	3.48
---------------------------	--	-------	------	-------	------

समिति ने इकाई को निर्देशित किया कि वह UAC से वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची की पूर्व स्वीकृति का विवरण, उन स्थानों/भवनो का विवरण जहाँ उनका उपयोग किया गया है, तथा इस संबंध में किए गए कार्य की स्थिति प्रस्तुत करे।

एजेंडा आइटम नंबर 04: मेसर्स विप्रो लिमिटेड यूनिट – III का मॉनिटरिंग ऑफ़ परफॉर्मन्स

विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने SEZ नियम, 2006 के नियम 54 के अंतर्गत तृतीय ब्लॉक अवधि के प्रथम दो वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान इकाई के प्रदर्शन को नोट किया।

- यूनिट ने तृतीय ब्लॉक अवधि के पहले दो वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में संचयी आधार पर **6815.63 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **8117.51 करोड़ रुपये** का निर्यात हासिल किया है।
- यूनिट ने वित्त वर्ष 2024-25 में संचयी आधार पर **8110.94 करोड़ रुपये** अर्थात **99.92%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- विनिर्दिष्ट अधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार, इकाई ने 31.03.2025 तक **5289** कर्मचारी (पुरुष- 3173, महिला- 2116) रोजगार प्राप्त किया है।
- समिति ने यह भी पाया कि यूनिट ने भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले डीटीए में सेवाएं प्रदान की हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	डीटीए बिक्री राशि करोड़ रु. में
2023-24	40.6538
2024-25	28.7249
<b>Total</b>	<b>69.3787</b>

चूंकि यनिट को विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त हुआ है, इसलिए अनुमोदन समिति ने एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) (iii) के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए एससीएन जारी करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, समिति ने इकाई को निर्देशित किया कि वह सही amortization values सहित वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के APRs में संशोधन करे, साथ ही पूर्ववर्ती ब्लॉक अवधि के APRs भी संशोधित कर प्रस्तुत करे, जिसके संबंध में UAC द्वारा दिनांक 29.02.2024 को निर्देश जारी किए गए थे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 35 <sup>th</sup> Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. Wipro Ltd.-SEZ, Hinjewadi, Phase-II SEZ, Pune, held on 07.05.2026.		
1	Name of the SEZ	M/s. Wipro Ltd.
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	35 <sup>th</sup>
4	Date	07.05.2026

Members present:

Sr No	Name and Designation (Smt/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath, Jt. Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Abhinav Rathi, Dy. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Shri. Sanjiv Patil, Industries Officer, Pune Region	Nominee of Govt. of Maharashtra
4	Shri Plato Lobo, Asstt. Director General of Foreign Trade	Nominee of DGFT, Pune
5	Shri Navanath Awatade, Sub Regional Officer	Nominee of Maharashtra Pollution Control Board
6	Shri. Prashant Rohanekar, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

**Special Invitee:**

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena , Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

**Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 34<sup>th</sup> meeting held on 30.03.2026**

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 34<sup>th</sup> Approval Committee meeting held on 30.03.2026.

**Agenda Item No. 02: Action taken report for the Minutes of the 34<sup>th</sup> meeting held on 30.03.2026.**

After deliberation, the Committee has noted the Action taken report for the meeting held on 30.03.2026.

**Agenda Item No.03: Application for List of Additional Goods and Services required for Authorized Operations submitted by M/s. Wipro Ltd.**

After deliberation, Committee considered the request of the Developer and approved the list of additional goods and services required for refurbishment of existing infrastructure totally valued at Rs. **40.85 Crores** duly certified by the Chartered Engineer T.N. Suresh Kumar, AM 78162/5, in terms of Rule 12(2) of SEZ Rules, 2006.

Sr No	Name of Authorized Operation	Annexure	Goods	Duty Forgone (In Crs)	Services	Duty Forgone (In Crs)
1.	Estimated Value of Purchases in Import (Rs. in Cr.)	I	6.13	2.69		
2	Estimated Value for purchases in DTA (Rs. In Cr)	II & III	15.38	2.77	19.34	3.48
	Total Value (Rs. In Cr)		<b>21.51</b>	<b>5.46</b>	<b>19.34</b>	<b>3.48</b>

Committee directed the unit to submit the details of the past approval of list of goods and services from UAC along

the details of the location/building where the same have been utilized and the status of the work done in that regard.

**Agenda Item No.04: Monitoring of Performance of M/s Wipro Ltd (Unit-III)**

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 1<sup>st</sup> two years of 3<sup>rd</sup> Block Period i.e. FY 2023-24 and 2024-25, in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.

- The Unit has achieved export revenue of Rs. **8117.51 Crores** as against projected exports of Rs. **6815.63 Crores** in 2 yeas (i.e. FY 2023-24 and FY 2024-25) of the 3<sup>rd</sup> Block period.
- The unit has achieved positive NFE of Rs. **8110.94 Crores** on cumulative basis i.e. 99.92% at the end of 2<sup>nd</sup> Year (FY 2024-25) of 3<sup>rd</sup> Block Period.
- As per SO report, the unit has achieved employment of **5289 employees (Male: 3173, Female: 2116)** in FY 2024-25.
- The committee also observed that the unit has provided services in DTA against the payments received in INR as detailed below:

Year	Value in Cr.
2023-24	40.6538
2024-25	28.7249
<b>Total</b>	<b>69.3787</b>

Since providing of “Services” in DTA against payment received in INR does not qualify as ‘Services’ as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, The unit has made violation of various provision of SEZ Act / Rules and under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992. As the Unit has received payment in INR instead of Foreign Currency the Approval Committee directed to issue a SCN for contravening the provision of Section 2(z)(iii) of SEZ Act, 2005.

Further the Committee also directed the unit to revise the APRs for 2023-24 and 2024-25 with correct amortization values, along with APRs of previous block for which direction were given by UAC dated 29.02.2024.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयएस)  
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)  
अध्यक्ष-सह- विकास आयुक्त  
Chairman-cum- Development Commissioner